

14/1/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई, आभे वादी प्रतिवादी उपस्थिति पीठासीन अधिकारी यथ रिक्त पत्रावली वास्ते प्रेषित आयन्दा दिनांक 26/1/22 को पेश हो।

26/4/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई, आभे वादी प्रतिवादी उपस्थिति पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य प्रेषित पत्रावली वास्ते प्रेषित आयन्दा दिनांक 19/7/22 को पेश हो।

19/7/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई, आभे वादी प्रतिवादी उपस्थिति पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य प्रेषित पत्रावली वास्ते प्रेषित आयन्दा दिनांक 11/8/22 को पेश हो।

12.10.2022 अधिवक्ता वादी एवं वादीगण द्वारा स्वयं:

उपस्थित होकर सार्चना पत्र पेश किन्ते जाने से पत्रावली सींगे से तलब की गई। अधिवक्ता वादी एवं वादीगण द्वारा सार्चना पत्र पेश कर प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही एवं किली प्रकाश का कोई अनुतोष नहीं चाहने आमत निवेदन किया। अतः प्रस्तुत सार्चना पत्र को स्वीकार काले अधिवक्ता वादी द्वारा NOT PRESS किन्ते जाने से पत्रावली अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान कारतकारी अधिनियम इसी स्तर पर प्रेषित होप किया जाता है। पत्रावली प्रेषित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Not Press  
M. G. S.

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डलगढ़